कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– 890 /FP/UK/ROAD/15752/2015 :देहरादून:दिनांक: 28 सितम्बर, 2018

सेवा में,

सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः–जनपद चम्पावत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत टनकपुर–तवाघाट मोटर मार्ग के किमी0 31 से सिलाड़ मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.81 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः–वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1069/X-4-16/1(347)/2016 दिनांक 05–12–2016

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे शासन द्वारा विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 1,00,000.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की देय धनराशि रू0 5,32,170.00 मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–1)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 6,32,170.00 के रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू:वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–3)**
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे हैं। **(संलग्नक–4)**

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में शासन द्वारा विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्नः–यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक

संख्या 890 / FP/UK/ROAD/15752/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।
2. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, चम्पावत।

(मनोज चन्द्रन)
मुख्य वन संरक्षक